

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क.177 ए/2015

संस्थापित दिनांक 30/04/2014

फाईलिंग नम्बर 230303002432014

1. परमजीत सिंह रंधावा पुत्र सोबरनसिंह रंधावा उम्र 38 वर्ष
2. सिमरजीत कौर पुत्री भजन सिंह पत्नि परमजीत सिंह रंधावा उम्र 34 वर्ष समस्त जाति सिख निवासीगण ग्राम फतेहपुर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 हॉल निवासी तानसेन नगर ड00 पुरोहित हजीरा ग्वालियर म0प्र0

..... वादीगण

बनाम

1. उत्तम सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र 50 वर्ष
2. जसपाल सिंह उर्फ जस्सा पुत्र रंजीत सिंह उम्र 45 वर्ष
3. त्रिलोक सिंह उम्र 52 वर्ष
4. सुखदेव सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्रगण बलवीर सिंह
5. सोनू पुत्र त्रिलोक सिंह उम्र 30 वर्ष
6. गुरुविंदर सिंह पुत्र कर्म सिंह उम्र 32 वर्ष समस्त जाति सिख निवासीगण ग्राम श्याम सिंह का पुरा गोहद चौराहा परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
7. सतनाम सिंह पुत्र करतार सिंह उम्र 45 वर्ष जाति सिख निवासीगण ग्राम श्याम सिंह का पुरा पगरना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 हॉल निवासी दीनदयाल नगर ग्वालियर म0प्र0
8. म0प्र0शासन द्वारा — श्रीमान कलेक्टर महादय भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा श्री सुनील कांकर एड0

प्रतिवादी क01,4 एवं 7 द्वारा अधि0 श्री एम0एस0यादव एड0

प्रतिवादी क05,06 व 08 पूर्व से एकपक्षीय

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 10/03/17 को घोषित किया)

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद ग्राम श्यामपुर परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क.139,140, तथा 142 में स्थित वादग्रस्त स्थल जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम श्यामपुर तहसील गोहद में भूमि सर्वे क्र.111 रकवा 0.39 सर्वे क्र.112 रकवा 0.81 सर्वे क्र.114 रकवा 0.99 सर्वे क्र.118 रकवा 0.40 सर्वे क्र.119 रकवा 0.30 सर्वे क्र.120 रकवा 0.33 सर्वे क्र.121 रकवा 0.62 सर्वे क्र.137 रकवा 0.35 सर्वे क्र.138 रकवा 1.81 सर्वे क्र.139 रकवा 1.38 स्थित हैं जिसका स्वत्व एवं आधिपत्यधारी वादी क्र01 हैं ग्राम श्यामपुर में भूमि सर्वे क्र. 136 रकवा 0.09 सर्वे क्र.140 रकवा 1.38 सर्वे क्र.142 रकवा 0.52 सर्वे क्र.143 रकवा 0.77 स्थित है जिसकी स्वत्व व आधिपत्यधारी वादी क्र02 है। उक्त भूमियों के सर्वे क्र.139,140 एवं 142 के संबंध में विवाद है जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न है मानचित्र में प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 द्वारा खादे गये नाले को लाल स्याही से दर्शाया गया है। वादीगण ग्राम श्यामपुर के काश्तकार होकरवर्तमान में तानसेन नगर हजीरा में निवासरत है एवं वादग्रस्त भूमि पर आकर निरंतर काश्त करते हैं। प्रतिवादीगण के काश्त की भूमि वादीगण की भूमि से लगी हुई है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण को काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। मई 2013 में जब वादीगण ग्वालियर में थे तब प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 ने वादीगण को बिना सूचना दिये अपने खेतों का पानी निकालने के लिये वादीगण की भूमि सर्वे क्र.142 से लगी हुई शासकीय भूमि सर्वे क्र.141 तथा सर्वे क्र.140 एवं 139 में विवादित नाला खोद दिया था। जब वादीगण अपनी भूमि को देखने आये थे तब वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई थी। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से नाला बंद करने का निवेदन किया था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा नाला बंद नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट की थी तो थानाप्रभारी द्वारा थाने में ही पंचायत करवाकर प्रतिवादीगण को नाला बंद करने के लिये निर्देशित किया गया था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा विवादित नाले को बंद नहीं किया गया है। दिनांक 30/06/13 को प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 ने वादीगण को जान से मारने की नियत से बंदूकों से लेस होकर हमला किया था जिसकी रिपोर्ट वादीगण द्वारा की गई थी जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा आपराधिक प्रकरण संचालित है। प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 द्वारा वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर विवादित नाला खोदने से वादीगण की भूमि पर पानी भर जाता है जिससे वादीगण की फसल सड़ कर नष्ट हो जाती है एवं वादीगण को आर्थिक क्षति होती है तथा वादीगण की कृषि भूमि भी नष्ट हो रही है। प्रतिवादीगण विवादित नाले को बंद नहीं कर रहे हैं एवं नाले को बंद करने से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के स्वामित्व की भूमि पर खोदे गये विवादित नाले को बंद करें एवं वादीगण के काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्र01 लगायत 04 एवं 07 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुये उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में नाला नहीं खोदा गया है। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से गलत स्थान चिह्नित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि पर सर्वे क्र.141 एवं 234 में से होकर जल निकास व्यवस्था पूर्व से ही की गई है। जल निकास पूर्व से ही शासकीय भूमि पर होता चला आ रहा है। उक्त नाला शासकीय सर्वे क्र.141 एवं 234 में बना हुआ है। प्रतिवादीगण ने नाला अवरुद्ध होने के कारण उनकी साफ सफाई कराई है। वादीगण ने सर्वे क्र.140 एवं 139 में नाला खोदने वाली बात गलत रूप से बताई है नाला शासकीय सर्वे क्र.141 एवं 234 में बना हुआ है। वादीगण क्षलकपट से न्यायालय से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्र05,6 एवं 08 के तामील उपरांत उप0 न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादीगण ग्राम श्यामपुर परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 139 एवं सर्वे क्र. 140 तथा 142 में स्थित वादग्रस्त स्थल जिसे वादपत्र प्रमाणित नहीं। के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है के आधिपत्यधारी हैं?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में नाला खोदकर वादीगण के नहीं। आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है?
3. क्या वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं? नहीं।
4. सहायता एवं व्यय ? वाद निरस्त किया गया।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न कमांक-1, 2 एवं 3

5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी परमजीत वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि उसके व उसकी पत्नि सिमरजीत कौर के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम श्यामपुरा परगना गोहद में स्थित है जिसमें से भूमि सर्वे क्र.111 रकवा 0.39,112 रकवा 0.81,114 रकवा 0.99 सर्वे क्र.118 रकवा 0.40,119 रकवा 0.30,120 रकवा 0.33 ,121 रकवा 0.62,137 रकवा 0.35,138 रकवा 1.81 सर्वे क्र.139 रकवा 1.38 का स्वत्व व आधिपत्यधारी वादी क्र01 एवं भूमि सर्वे क्र.136 रकवा 0.09,140 रकवा 1.38,142 रकवा 0.52 एवं 143 रकवा 0.77 की स्वत्व व आधिपत्यधारी वादी क्र02 सिमरजीत है। वह अपनी पत्नि सहित तानसेन नगर ग्वालियर में निवासरत है तथा ग्राम श्यामपुर में आकर वादग्रस्त भूमि पर खेती करता है प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 झगडालू एवं आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है जो उसे व उसकी पत्नि को आये दिन खेती करने में व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। मई 2013 में जब वह एवं उसकी पत्नि ग्वालियर में थे तब प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 ने उसे व उसकी पत्नि को बिना सूचना दिये अपने खेतों का पानी निकालने के लिये उसकी पत्नि के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र.142 से लगी शासकीय भूमि सर्वे क्र.141 एवं उसकी पत्नि की स्वामित्व की सर्वे क्र.140 तथा उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्र.139 में विवादित नाला खोद दिया था जिसकी जानकारी मिलने पर उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट की थी। थाना प्रभारी गोहद चौराहा ने प्रतिवादीगण को नाला बंद करने के लिये कहा था परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने थे। दिनांक 30/06/13 को प्रतिवादीगण ने उसके उपर हमला किया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद चौराहा पर की थी जिसका प्रकरण न्यायालय में संचालित है। प्रतिवादीगण द्वारा उसके व उसकी पत्नि की स्वामित्व की भूमि पर जो विवादित नाला खोदा गया है उससे उनके खेतों पर पानी भर जाता है एवं फसल नष्ट हो जाती है। वादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वर्ष 2013-14 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी03 एवं प्र0पी04 तथा नक्शा अक्स

प्र0पी05 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

7. वादी परमजीत वा0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र07 में व्यक्त किया है कि जिस सर्वे क्रमांक में नाला खुदा है वह सर्वे क्र.139,140, एवं 142 है। सर्वे क्र.139 उसके नाम पर है तथा सर्वे क्र.140 एवं 142 उसकी पत्नि के नाम पर है। पद क्र09 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि नाले के बगल से जो शासकीय रास्ता है वह सर्वे क्र.234 में आता है। उक्त साक्षी ने इसी पद क्रमांक में यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी05 के मानचित्र के अनुसार शासकीय पार से सर्वे क्र.139 एवं 140 लगा हुआ है तथा यह भी स्वीकार किया है कि शासकीय सर्वे क्र.141 के पीछे सर्वे क्र.142 है। इसके तुरन्त पश्चात ही उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि सर्वे क्र.142 शासकीय पार से लगा हुआ है। पद क्र010 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सर्वे क्र.234 शासकीय पार है जो श्यामपुर गांव से होकर ग्राम तेहरा तक गया है।

8. वादी साक्षी हरदेव सिंह वा0सा02 एवं जोगेन्द्र सिंह वा0सा03 ने वादी के अभिवचनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं।

09. वादी साक्षी अतर सिंह कुशवाह आ0सा04 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह ग्राम फतेहपुर में हल्का पटवारी है श्यामपुर मौजा भी उसके हल्के में आता है। उसने प्र0पी05 का नक्शा तैयार करके दिया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अक्स में जो पार है वह श्यामपुर गांव तक जाती है। वर्तमान में लोग उसका उपयोग आवागमन के लिये करते हैं। सर्वे क्र. 139,140,142,143,144 में से होकर कोई सरकारी नाला नहीं है। सर्वे क्र.141 कदीम है जो शासकीय है। उक्त सर्वे क्रमांक से सर्वे क्र.142 लगा हुआ है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि शासकीय सर्वे क्र.141 पर परमजीत का अतिक्रमण है एवं यह भी स्वीकार किया है कि शासकीय पार का नम्बर 234 है जिसकी चौड़ाई लगभग 70 कड़ी है। शासकीय पार में नाला खुदा हुआ है नाला किसी कृषक की जमीन पर नहीं खुदा है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि सर्वे क्र.141 पर परमजीत सिंह का नलकूप लगा है तथा शेष जगह को उन्होंने जोतकर अतिक्रमण किया है। पद क्र03 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सीमांकन के समय सर्वे क्र.234 जिसमें पार बनी हुई है मे नाली बनाई गई है। उक्त नाली कृषकों द्वारा बनाई गई है।

10. प्रतिवादी उत्तम सिंह प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुये अभिवचनित किया है कि उसके द्वारा वादीगण की जगह में किसी भी प्रकार का नाला नहीं खोदा गया है। वादीगण द्वारा शासकीय भूमि को गलत रूप से विवादित बताया गया है। सर्वे क्र.141 एवं 234 में पूर्व से जलनिकास होता हुआ चला आ रहा है। उपरोक्त नाला बंद होने से उसकी सफाई कर उसका गहरीकरण किया गया था जिससे जल भराव न हों उसके द्वारा सर्वे क्र.140,139, पर नाला नहीं खोदा गया है। नाला पूर्व से ही शासकीय भूमि सर्वे क्र.141 एवं 234 में बना हुआ है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र04 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि सरकारी नाला उसके खेत व वादीगण के खेतों की ओर बना हुआ है। पद क्र05 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें सर्वे क्र.234 में शासकीय नाला दर्शाया गया हो।

11. प्रतिवादी साक्षी त्रिलोक सिंह प्र0सा02 ने भी प्रतिवादी उत्तम सिंह प्र0सा01 के अभिवचनों

के समर्थनमें साक्ष्य दी है।

12. तर्क के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व की भूमि पर नाला खोदा गया है जबकि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि नाला शासकीय भूमि पर पूर्व से ही है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी परमजीत वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि सर्वे क्र.14. 140,142, उसकी पत्नि के स्वामित्व का है तथा सर्वे क्र.140 उसके स्वामित्व का है एवं प्रतिवादी क्र01 लगायत 07 ने उसके व उसकी पत्नि के स्वामित्व के सर्वे क्र.140 एवं 139 तथा सर्वे क्र.142 से लगे हुये सर्वे क्र.141 में विवादित नाला खोद दिया है जिससे उसकी कृषि भूमि एवं फसल खराब हो रही है। वादी द्वारा उक्त संबंध में वर्ष 2013-14 के खसरो की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्र0पी03 एवं प्र0पी04 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र0पी03 के अवलोकन से यह दर्शित है कि सर्वे क्र.139 राजस्व अभिलेखों में वादी परमजीत के नाम अंकित है एवं प्र0पी04 के खसरे से यह दर्शित है कि सर्वे क्र.140 एवं 142 राजस्व अभिलेखों में वादी क्र02 सिमरजीत के नाम अंकित है।

14. वादी परमजीत वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्र0142 तथा सर्वे क्र.140 एवं 139 में विवादित नाला खोद दिया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है जिस सर्वे क्रमांक में नाला खोदा गया है वह सर्वे क्र.139,140 एवं 142 है एवं यह भी व्यक्त किया है कि सर्वे क्र.142 शासकीय पार से लगा हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी वादपत्र के साथ जो मानचित्र प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें सर्वे क्र.142, शासकीय पार से लगे हुये सर्वे क्रमांक 141 के पीछे दर्शित हैं एवं उक्त मानचित्र से यह दर्शित नहीं है कि सर्वे क्र.142 शासकीय पार जो कि सर्वे क्र.234 में होना अंकित है से लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा जो प्र0पी05 का नक्शा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी सर्वे क्र.142 शासकीय पार से लगा होना दर्शित नहीं है। शासकीय पार के बाद सर्वे क्र.141 है एवं उसके पीछे सर्वे क्र.142 हैं। इस प्रकार वादी द्वारा ही वादग्रस्त स्थल के संबंध में जो नक्शे प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं उनसे ही यह दर्शित होता है कि सर्वे क्र.142 शासकीय पार से लगा हुआ नहीं है।

15. वादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि प्रतिवादीगण ने उसके व उसकी पत्नि सिमरजीत के स्वामित्व के सर्वे क्र.139,140, एवं 142 में नाला खोद दिया है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा ही जो वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं प्र0पी05 का नक्शा प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित है कि सर्वे क्र.139, एवं 140 के बाद शासकीय पार है जो कि शासकीय सर्वे क्र.234 में स्थित है। शासकीय पार से लगा हुआ शासकीय सर्वे क्र.141 है एवं 141 के पीछे सर्वे क्र.142 हैं। वादी द्वारा उक्त संबंध में पटवारी अतर सिंह कुशवाह वा0सा04 को परीक्षित कराया गया है। पटवारी अतर सिंह वा0सा04 ने भी यह व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी05 का नक्शा तैयार किया था तथा सर्वे क्र. 139,140,142, में कोई सरकारी नाला नहीं है सर्वे क्र.141 शासकीय है जो कि सर्वे क्र.142 से लगा हुआ है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि शासकीय सर्वे क्र.141 पर वादी का अतिक्रमण है उस पर वादी का नलकूप लगा है एवं शासकीय पार में नाला खुदा हुआ है शासकीय सर्वे क्र.234 में स्थित है एवं शासकीय पार सर्वे क्र.234 में कृषकों द्वारा नाली बनाई गई है। इस प्रकार वादी साक्षी अतरसिंह कुशवाह वा0सा04 द्वारा स्वयं यह स्पष्ट किया गया है कि नाला शासकीय पार में जो कि

सर्वे क्र.234 में स्थित है खुदा हुआ हैं एवं सर्वे क्र.139,140,142 में कोई नाला नहीं है।

16. जहां तक वादी साक्षी हरदेव वा0सा02 एवं जोगेन्दर सिंह वा0सा03 के कथन का प्रश्न है तो हरदेव सिंह वा0सा02 ने अपने शपथपत्र में यह बताया है कि प्रतिवादीगण ने वादी की स्वामित्व की भूमि पर नाला खोद दिया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह नहीं बता सकता है कि नाला प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर खोदा हैं या नहीं। नाला सरकारी रास्ते से लगी हुई जगह पर खोदा है वह नहीं बता सकता कि उक्त जगह वादी की हैं या नहीं। इसप्रकार हरदेव सिंह वा0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी को वादग्रस्त स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं है उक्त साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि वादग्रस्त स्थल वादी के स्वामित्व का है या नहीं।

17. जोगेन्दर सिंह वा0सा03 ने भी अपने शपथपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वामित्व की भूमि पर नाला खोदना बताया हैं परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह नहीं बता सकता कि परमजीत के खेत से लगा हुआ शासकीय सर्वे क्र.141 हैं वह शासकीय जगह अथवा पार का सर्वे क्रमांक नहीं बता सकता हैं। वह नहीं बता सकता कि परमजीत सरकारी जगह जोत रहे है या नहीं। इस प्रकार जोगेन्दर सिंह वा0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी को ही वादग्रस्त स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। उक्त साक्षी के कथनों से यही प्रकट हो रहा है कि उक्त साक्षी को यह जानकारी नहीं हैं कि जिस जगह को वादीगण अपने स्वामित्व की होना बता रहे हैं वह वास्तव में वादीगण के स्वामित्व की हैं अथवा नहीं।

18. इस प्रकार वादी साक्षी हरदेव सिंह वा0सा02 एवं जोगेन्दर सिंह वा0सा03 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण को वादग्रस्त स्थल के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं उक्त साक्षीगण ने वादी के बताये अनुसार शपथपत्र प्रस्तुत किया हैं। जहां तक वादी परमजीत के कथन का प्रश्न है तो परमजीत वा0सा01 ने सर्वे क्रमांक 142, शासकीय पार से लगा होना बताया है परन्तु वादी द्वारा ही वादपत्र के साथ जो मानचित्र एवं प्रोपी05 का नक्शा प्रस्तुत किया गया है उससे ही वादी के कथनों की पुष्टि नहीं हो रही है। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं प्रदर्श पी 5 के नक्शे से यह दर्शित नहीं है कि सर्वे क्र. 142 शासकीय पार से लगा हुआ है।

19. वादपात्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं प्रदर्श पी 5 के नक्शे तथा वादीसाक्षी अतरसिंह कुशवाह वा.सा. 4 के कथनों से यह दर्शित है कि सर्वे क्र. 139 एवं 140 से लगा हुआ शासकीय पार है जो कि सर्वे क्र. 234 में स्थित है। यद्यपि प्रदर्श पी 5 के नक्शे में शासकीय पार का सर्वे क्र. अंकित नहीं है परन्तु वादी द्वारा वादपत्र के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वादीगण के सर्वे क्र. 140, 139 से लगा हुआ शासकीय पार सर्वे क्र. 234 में होना दर्शित है। प्रदर्श पी 5 के नक्शे से यह भी स्पष्ट है कि सर्वे क्र. 142 शासकीय पार से लगा हुआ नहीं है। शासकीय पार से लगा हुआ शासकीय सर्वे क्र. 141 जिसके पश्चात् सर्वे क्र. 142 अंकित है। वादीसाक्षी पटवारी अतरसिंह कुशवाह वा.सा. 4 द्वारा यह भी बताया गया है कि सर्वे क्र. 141 पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा वादीगण के सर्वे क्र. 139, 140 में से होकर कोई नाला नहीं गया है। सर्वे क्र. 234 में स्थित शासकीय पार में बना हुआ है।

20. इस प्रकार वादीगण द्वारा उपरोक्त बिंदु पर जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे

यह दर्शित है कि वादी साक्षी हरदेव सिंह वा.सा. 2 एवं जोगिंदर सिंह वा.सा. 3 को वादग्रस्त स्थल के संबंध में कोई जानकारी नहीं है एवं वादी साक्षी अतरसिंह कुशवाह अ.सा. 4 द्वारा वादीगण के अभिवचनों को समर्थन नहीं किया गया है तथा यह व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्र. 141 शासकीय सर्वे क्र. है जिसपर वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 से होकर कोई नाला नहीं है। नाला शासकीय पार जो कि सर्वे क्र. 234 में स्थित है में खुदा हुआ है। अतः उपरोक्त बिंदु पर वादीगण द्वारा जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे यह दर्शित नहीं होता है कि विवादित नाला वादीगण के स्वामित्व के सर्वे क्र. 139, 140 तथा 142 में खोदा गया है।

21. जहां तक उक्त बिंदु पर आयी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रश्न है तो वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ जो मानचित्र एवं प्रदर्श पी 5 का नक्शा प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित है कि सर्वे क्र. 141 वादीगण के स्वामित्व का नहीं है बल्कि शासकीय सर्वे क्र. है एवं वादी परमजीत द्वारा सर्वे क्र. 141 पर अतिक्रमण किया गया है तथा वादीगण के सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 में से होकर कोई नाला नहीं बनाया गया है। नाला शासकीय पार सर्वे क्र. 234 में स्थित है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 में नाला बनाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण ने वादपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित स्थल सर्वे क्र. 139, 140 तथा 142 का भाग है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा नाला खोदा गया है, परंतु प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 में नाला बनाया गया है। वादीगण द्वारा ऐसी भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त स्थल जिसे वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है वह वादीगण के सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 का भाग है। वादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई सीमांकन रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त स्थल जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 का ही भाग है एवं यह भी प्रमाणित नहीं है कि विवादित नाला वादीगण के सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 में स्थित है।

22. इस प्रकार समग्र अवलोकन से वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित वादग्रस्त स्थल सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 का भाग है। वादीगण यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम श्यामपुर परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 139, 140 एवं 142 में नाला खोदकर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया गया है। अतः वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। फलतः उपरोक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

सहायता एवं व्यय

23. समग्र अवलोकन से वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

24. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादीगण द्वारा वहन किया जावेगा

25. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदानुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 10/03/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु सामान्य)